[2018] 3 एस.सी.आर. 12

एस. थंगराज

बनाम

नेशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि शाखा प्रबंधक

(सिविल अपील संख्या 3152 वर्ष 2017)

मार्च 06, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, एएम। खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.जे.]

मोटर यान - मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई विकलांगता - अपीलकर्ता - पीड़ित, एक भवन ठेकेदार द्वारा नियुक्त लोडमैन, दुर्घटना के समय 26 वर्ष का था - अधिकरण ने विकलांगता को 70% पर निर्धारित किया, और 11,27,359/- रुपये का मुआवजा ब्याज @ 12% प्रति वर्ष के साथ दिया - उच्च न्यायालय ने मुआवजे के फैसले को बनाए रखते हुए अधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज को घटाकर 7.5% प्रति वर्ष कर दिया - अपील पर, अपीलकर्ता को लगी चोटें गंभीर हैं - उसके द्वारा लगाए गए कई फ्रैक्चर के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने पेट के नीचे पूरी संवेदना खो दी है - जाहिर है कि वह अब लोडमैन के रूप में काम नहीं कर सकता है - इन परिस्थितियों में, 70% पर विकलांगता का आकलन गलत है - मामले के यथार्थवादी दृष्टिकोण पर, विकलांगता की प्रकृति को पूर्ण माना जाना चाहिए - अधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को तदनुसार 3,00,000/- रुपये तक बढ़ा दिया गया है - अपीलकर्ता ब्याज के हकदार @ 9% प्रति वर्ष, मुआवजे की कुल राशि पर (इसके बजाय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 7.5% प्रति वर्ष के प्रतिस्थापन में)।

अपीलकर्ता को एक मोटर दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं। अधिकरण ने विकलांगता के कारण आय के नुकसान के कारण अपीलकर्ता को देय मुआवजे की गणना 9,72,000/- रुपये की। हालांकि, डॉक्टर की राय के आधार पर कि विकलांगता 70% की सीमा तक थी, शुद्ध राशि 6,80,400/- रुपये निर्धारित की गई थी। चिकित्सा और अन्य खर्चों को ध्यान में रखने के बाद, अधिकरण ने प्रति वर्ष 12% के ब्याज के साथ 11,27,359/- रुपये का कुल

मुआवजा दिया। उच्च न्यायालय ने मुआवजे के पुरस्कार को बनाए रखा लेकिन ब्याज घटक को 12% प्रति वर्ष से घटाकर 7.5% प्रति वर्ष कर दिया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने सही तरीके से मुआवजे का आकलन नहीं किया है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया: 1. बीमाकर्ता की यह दलील कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से रियायत थी, जिसे उसे बाध्य करना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिया गया बयान इस बात पर था कि क्या अधिकरण ने उचित और युक्तियुक्त मुआवजा दिया है। क्या वास्तव में जो मुआवजा दिया गया है वह उचित और युक्तियुक्त है, इसलिए इसे रियायत का मामला नहीं माना जा सकता है और यह अपीलकर्ता को इन कार्यवाहियों में प्रतिस्पर्धा करने से नहीं रोकेगा। [पैरा 7] [15-डी-ई]

2. दस्तावेजों को देखने पर यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को लगी चोटें वास्तव में गंभीर प्रकृति की हैं। उसके द्वारा लगाए गए कई फ्रैक्चर के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने पेट के नीचे पूरी संवेदना खो दी है। जाहिर है कि वह अब लोडमैन के रूप में काम नहीं कर सकता। इन परिस्थितियों में, 70 प्रतिशत पर विकलांगता का आकलन गलत है। मामले के यथार्थवादी दृष्टिकोण पर, विकलांगता की प्रकृति को पूर्ण माना जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा 2,91,600/- रुपये की राशि की कटौती का कोई कारण या औचित्य नहीं है (9,72,000/- रुपये घटाकर 6,80,400/- रुपये)। इस प्रकार काटी गई राशि को बहाल किया जाना चाहिए और इसे 3,00,000/- रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, अपीलकर्ता दावा याचिका की तारीख से प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का हकदार है। [पैरा 8] [15-एफ-एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3152 वर्ष 2017।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा सीएमए (एमडी) संख्या 499 में 2008 के क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या 24 वर्ष 2012 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05.06.2012 से।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता आर नेदुमारन।

प्रतिवादी के अधिवक्ता अंभोज कुमार सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़** द्वारा दिया गया,

1. बिलंब के लिए क्षमा प्रदान की गई।

2. दावा मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई विकलांगता से उत्पन्न होता है। न्यायाधिकरण ने दावाकर्ता को 11,27,359/- रुपये की राशि में 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजा दिया। उच्च न्यायालय ने मुआवजे के फैसले को बनाए रखते हुए अधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज को घटाकर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया है। दावेदार अपील में है।

3. दुर्घटना 1 अगस्त 2004 को घटित हुई थी। दुर्घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र 26 वर्ष थी। दुर्घटना तब हुई जब अपीलकर्ता एडविन द्वारा चलाई गई मोटर साइकिल पर पीछे बैठा था। जैसे ही मोटर साइकिल मार्थांडम से आगे बढ़ रही थी कि पंजीकरण नंबर टी.एन. 69 जेड 2979 वाली एक लॉरी ने टक्कर मार दी। इसके बाद लॉरी एक बिजली के खंभे से टकरा गई और एक आवासीय संपत्ति से टकरा गई, जिससे घर में रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना में अपीलकर्ता को गंभीर चोटें आईं। चोटों का वर्णन पीडब्ल्यू 4 के साक्ष्य में किया गया है, अस्पताल के डॉक्टर जहां अपीलकर्ता का इलाज किया गया था। अपीलकर्ता की रीढ़ की हड्डी, दाहिने पैर और दाहिने कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। दुर्घटना के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के पैरों में कोई संवेदना या हलचल नहीं है। अधिकरण ने पीडब्ल्यू 4 के साक्ष्य को स्वीकार किया और इस प्रकार देखा:

> "इसके अलावा पीडब्ल्यू 4 डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में कहा है कि याचिकाकर्ता के पेट के नीचे, दो पैरों में कोई हलचल और संवेदना नहीं है..."

अधिकरण ने चिकित्सकीय राय के आधार पर विकलांगता को 70% पर निर्धारित किया। अधिकरण ने विकलांगता के कारण आय के नुकसान के कारण अपीलकर्ता को देय मुआवजे की गणना 9,72,000/- रुपये की। हालांकि, डॉक्टर की राय के आधार पर कि विकलांगता 70 प्रतिशत की सीमा तक थी, शुद्ध राशि 6,80,400/- रुपये निर्धारित की गई थी। चिकित्सा और अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण ने प्रति वर्ष 12 प्रतिशत के ब्याज के साथ कुल 11,27,359/- रुपये का मुआवजा दिया।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष, बीमाकर्ता ने अधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अपीलकर्ता ने प्रत्युत्तर दर्ज कीं। उच्च न्यायालय ने ब्याज घटक को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया है।

5. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने सही तरीके से मुआवजे का आकलन नहीं किया है। यह आग्रह किया गया है कि विकलांगता की गणना 70 प्रतिशत पर करने का कोई औचित्य नहीं था। अपीलकर्ता संबंधित समय में एक लोडमैन था जो एक भवन ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया गया था। विकलांगता की प्रकृति में दोनों पैरों में संवेदना का पूर्ण नुकसान शामिल है। इसलिए, उनके लिए लोडमैन के रूप में काम करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया था कि ब्याज के आवंटन को घटाकर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष करने का कोई औचित्य नहीं है और ब्याज पर अधिकरण के फैसले को बनाए रखा जाना चाहिए।

6. दूसरी ओर बीमाकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय मुआवजे के आदेश को बनाए रखने में उचित था क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में अपीलकर्ता-दावेदार की ओर से यह आग्रह किया गया था कि अधिकरण ने उचित और उचित मुआवजा दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

7. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने के बाद, हम बीमाकर्ता की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से रियायत दी गई थी, जो उसे बाध्य करेगी। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिया गया बयान इस बात पर था कि क्या अधिकरण ने उचित और युक्तियुक्त मुआवजा दिया है। क्या वास्तव में जो मुआवजा दिया गया है वह उचित और युक्तियुक्त है, इसलिए इसे रियायत का मामला नहीं माना जा सकता है और यह अपीलकर्ता को इन कार्यवाहियों में प्रतिस्पर्धा करने से नहीं रोकेगा।

8. दस्तावेजों को देखने पर यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को लगी चोटें वास्तव में गंभीर प्रकृति की हैं। उसके द्वारा लगाए गए कई फ्रैक्चर के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने पेट के नीचे पूरी संवेदना खो दी है। जाहिर है कि वह अब लोडमैन के रूप में काम नहीं कर सकता। इन परिस्थितियों में, 70 प्रतिशत पर विकलांगता का आकलन गलत है। मामले के यथार्थवादी दृष्टिकोण पर, विकलांगता की प्रकृति को पूर्ण माना जाना चाहिए। इन

परिस्थितियों में, हमें अधिकरण द्वारा 2,91,600/- रुपये की राशि की कटौती का कोई कारण या औचित्य नहीं मिलता है (9,72,000/- रुपये माइनस 6,80,400/- रुपये)। इस तरह से काटी गई राशि को बहाल किया जाना चाहिए और इसे 3,00,000/- रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता दावा याचिका की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार है।

9. तदनुसार अधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को 3,00,000/- रुपये की राशि से बढ़ाकर अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलकर्ता मुआवजे की कुल राशि पर @ 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज का हकदार होगा (इसके बजाय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 7.5% प्रति वर्ष के प्रतिस्थापन में)। आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

विभूति भूषण बोस

अपील स्वीकृत।

अनुवादकर्त्ता:
प्रशांत कुमार सिंह
अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय